राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर 16893-45

क्रमांकः–एफ.11(3)/मों./निर्माण/आ.बा.के.विद्युतीकरण /आईसीडीएस/2019–20/ दिनांकः 9/9/2022

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला– समस्त।

विषयः– विद्युत सुविधाविहीन आंगनबाडी केन्द्रों में विद्युतीकरण कार्य किए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– स्वीकृति क्रमांक 01/2022–23 पत्रांक 104338 दिनांक 21.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित स्वीकृति के क्रम में लेख हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022–23 बिन्दु संख्या 35 की क्रियान्विति के क्रम में प्रथम चरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्युत सुविधाविहीन विभागीय भवनों में संचालित कुल 22000 आंगनबाडी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत प्रभार हेतु निदेशालय स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक –01/2022–23 पत्रांक 104338 दिनांक 21.06.22 को जारी कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पश्चात पत्रांक 110218–50 दिनांक 29.06.22 को भी आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है।

कतिपय जिलों से प्राप्त प्रकरणों के प्रसंज्ञान से आंगनबाडी केन्द्रों में विद्युतीकरण कार्य किए जाने के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

1. आंगनबाडी केन्द्र में विद्युत कनेक्शन आंगनबाडी केन्द्र के नाम पर ही लिया जा सकेगा।
2. विद्युत सुविधाविहीन आंगनबाडी केन्द्र के विद्युतीकरण किये जाने हेतु विभाग द्वारा जारी (राशि रू 5000 प्रति केन्द्र) राशि में से बचत राशि को जहां पर प्रति केन्द्र विद्युत कनेक्शन में जारी राशि से अधिक राशि का खर्चा हो, में समायोजित की जा सकती है, परन्तु आपके जिले को जारी की गई राशि में से बचत राशि को अन्य केन्द्र में विद्युत कनेक्शन हेतु समायोजित किए जाने के अलावा विभाग से पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. प्रति माह बिजली उपभोग व्यय हेतु राशि (अधिकतम राशि रू 500 प्रति माह प्रति केन्द्र) निदेशालय के पूर्व पत्रांक 110218–50 दिनांक 29.06.22 के अनुसार पूल से आहरित की जा सकेगी, साथ ही वास्तविक मासिक विद्युत उपभोग हेतु जारी बिल राशि से अधिक राशि (अधिकतम राशि रू 500 प्रति माह प्रति केन्द्र) आहरित नहीं की जा सकेगी, इस हेतु यह भी आवश्यक है कि जारी किए गए मासिक बिल की नियत भुगतान तिथि से विलंब से किए गए भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मासिक विद्युत उपभोग पेटे जारी राशि का उपयोग केवल मासिक विद्युत उपभोग व्यय में ही किया जा सकेगा, किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जाना अनुमत नहीं होगा।

उक्त दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः–एफ.11(3)/मों./निर्माण/आ.बा.के.विद्युतीकरण /आईसीडीएस/2019–20/ 168046-553 दिनांकः 9/9/

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त परिपत्र में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार आंगनबाडी केन्द्रों का विद्युतीकरण कार्य हेतु जारी बजट राशि का उपयोग कर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करवाकर विद्युत कनेक्शन किए गए केन्द्रों की नामवार सूची मय उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित उपनिदेशक म.बा.वि. को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

9.9.22

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ